

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)

(वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)
तीसरी मंजिल, एन.सी.यू.आई. बिल्डिंग, 3 सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, (एशियाड विलेज के सामने), नई दिल्ली-110016

भर्ती विज्ञापन संख्या 2 / 2025

दिनांक: 01.11.2025

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा दिसंबर 1985 में संसद द्वारा पारित कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम के तहत की गई थी और जो 13 फरवरी, 1986 से प्रभावी हुआ। एपीडा भारत से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात के विकास से संबंधित कार्य में संलग्न शीर्ष संगठन है जो एपीडा अधिनियम, 1985 के तहत अनुसूची का एक भाग है।

एपीडा निम्नलिखित पदों पर भर्ती करने का इच्छुक है:

क्र.सं. एवं पद का नाम	आयु सीमा	ग्रुप एवं वेतन लेवल	पदों की सं. और आरक्षित पद**	अनिवार्य योग्यता एवं अनुभव
(1) सहायक महाप्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी)	35 वर्ष	ग्रुप ए, वेतन लेवल 10 (रु. 56100-177500)	1* (अनारक्षित)	अनिवार्य: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान इंजीनियरिंग/सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिग्री (ii) उपरोक्त शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के बाद उपरोक्त क्षेत्रों में पाँच वर्ष का अनुभव
(2) सहायक प्रबंधक (कृषि)	30 वर्ष	ग्रुप बी, वेतन लेवल 6 (रु. 35400-112400)	1* (ईडब्ल्यूएस)	अनिवार्य: मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कृषि/बागवानी/बागान/कृषि अभियांत्रिकी/कृषि एवं सहकारिता/पशु चिकित्सा विज्ञान/डेयरी विज्ञान/डेयरी प्रौद्योगिकी/खाद्य प्रसंस्करण/खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी/खाद्य प्रौद्योगिकी/खाद्य विज्ञान/खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में स्नातक की डिग्री
(3) सहायक प्रबंधक	30 वर्ष	ग्रुप बी, वेतन लेवल 6 (रु. 35400-112400)	4* (3 अनारक्षित, और 1 अ.पि.व.)	अनिवार्य: मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कृषि/बागवानी/बागान/कृषि अभियांत्रिकी/कृषि एवं सहकारिता/पशु चिकित्सा विज्ञान/डेयरी विज्ञान/डेयरी प्रौद्योगिकी/खाद्य प्रसंस्करण/खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी/खाद्य प्रौद्योगिकी/खाद्य विज्ञान/खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में स्नातक/पूर्वस्नातक डिग्री

* सक्षम प्राधिकारी पदों/रिक्तियों की संख्या बढ़ाने या घटाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

** क्रम संख्या 2 – सहायक प्रबंधक (कृषि) में एक पद 'निम्न दृष्टि' श्रेणी में आने वाले बेंचमार्क दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित है। सक्षम प्राधिकारी डीओपीटी के ओ.एम. नं. 36035/02/2017-स्था. (आरक्षण) दिनांक 15.01.2018 में दिए गए आरक्षित पद के अधीन बेंचमार्क दिव्यांगजनों की अनुपलब्धता की स्थिति में उसी समूह के अन्य पदों से रिक्तियों को भरने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

टिप्पणियाँ: पदों की पहचान निम्नलिखित बेंचमार्क दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्त के रूप में की गई है:

- क) एलवी
ख) डी, एचएच
ग) ओए, ओएल, सीपी, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एसडी और एसआई, बिना किसी संबद्ध तंत्रिका संबंधी/अंग विकार के
घ) एसएलडी, एमआई
ङ) एमडी, जिसमें उपरोक्त (क) से (घ) शामिल हैं
अतः, उपर्युक्त मानक विकलांगताओं वाले उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र हैं।

प्रयुक्त श्रेणी संक्षिप्ताक्षर: एलवी=कम दृष्टि, डी=बहरापन, एचएच=सुनने में कठिनाई, ओए=एक भुजा, ओएल=एक टांग, बीएल=दोनों टांग, ओएएल=एक भुजा और एक टांग, सीपी=मस्तिष्क पक्षाघात, एलसी=कृष्ठ रोग ठीक होना, डीडब्ल्यू=बौनापन, एएवी=एसिड अटैक पीड़ित, एमडीवाई=पेशीय दुर्विकास, एसडी=रीढ़ की विकृति, एसआई=रीढ़ की चोट, एसएलडी=विशिष्ट अधिगम विकलांगता, एमआई=मानसिक बीमारी, एमडी=एकाधिक विकलांगता

सामान्य शर्तें:

- उम्मीदवार को दिए गए लिंक पर केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन जमा करना होगा।
- उम्मीदवार को अपनी शैक्षिक योग्यता और अनुभव के समर्थन में आवश्यकतानुसार दस्तावेज/प्रमाणपत्र अपलोड करने होंगे।
- उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को या उससे पहले आवश्यक योग्यता/अनुभव पूरा किया होना चाहिए।
- केवल आवेदन जमा करने से आवेदक को परीक्षा के लिए बुलाए जाने का कोई अधिकार नहीं मिल जाता है।
- आवेदन शुल्क:
 - सहायक महाप्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी) के पदों के लिए: 500/— रुपये (मात्र पाँच सौ रुपये)।
 - सहायक प्रबंधक (कृषि)/सहायक प्रबंधक के पदों के लिए: 300/— रुपये (मात्र तीन सौ रुपये)।शुल्क सभी उम्मीदवारों द्वारा देय है (महिला/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग व्यक्तियों को छोड़कर जिन्हें शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है)।
- ऑनलाइन आवेदन पोर्टल में दिए गए लिंक के माध्यम से शुल्क का भुगतान किया जाना चाहिए। शुल्क का भुगतान एकमुश्त किया जाना चाहिए। शुल्क का आंशिक भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- निर्धारित शुल्क के बिना प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा। ऐसी अस्वीकृति के खिलाफ कोई प्रतिनिधित्व स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- जिन उम्मीदवारों को शुल्क भुगतान से छूट नहीं मिली है उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका शुल्क एपीडा के पास जमा हो गया है। यदि शुल्क एपीडा को प्राप्त नहीं होता है तो आवेदन पत्र की स्थिति 'अपूर्ण' दिखाई जाएगी और यह जानकारी आवेदन पत्र के शीर्ष पर मुद्रित की जाती है। इसके अलावा, उम्मीदवार द्वारा लॉगिन स्क्रीन में दिए गए 'भुगतान स्थिति' लिंक पर शुल्क भुगतान की स्थिति की जाँच की जा सकती है। ऐसे आवेदन जो शुल्क प्राप्त न होने के कारण अधूरे रह जाते हैं उन्हें तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा और **ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय** के बाद ऐसे आवेदनों पर विचार करने और शुल्क भुगतान के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
- एक बार भुगतान किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही इसे वर्तमान या भविष्य के किसी अन्य चयन में समायोजित किया जाएगा।
- आयु में छूट का दावा करने के लिए ऊपरी आयु सीमा में निम्नानुसार छूट उपलब्ध है:

क्र.सं.	निम्न श्रेणी के उम्मीदवार	ऊपरी आयु सीमा से परे आयु में छूट स्वीकार्य है
1	अ.पि.व.	3 वर्ष
2	पीडब्ल्यूडी	10 वर्ष
3	भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम)	अंतिम तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की कटौती के पश्चात 3 वर्ष
4	किसी बाहरी देश के साथ शत्रुता के दौरान या अशांत क्षेत्र में ऑपरेशन में अक्षम हुए और उसके परिणामस्वरूप कार्यमुक्त रक्षा कार्मिक	3 वर्ष
5	एपीडा में नियमित आधार पर पद धारण करने वाले कर्मचारी जिनकी सेवा अवधि कम से कम तीन वर्ष हो	5 वर्ष

नोट:

- अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के उम्मीदवार, जो ऊपर उल्लिखित किसी अन्य खंड के अंतर्गत भी आते हैं, दोनों श्रेणियों के अंतर्गत संचयी आयु-छूट के लिए पात्र होंगे।
- भूतपूर्व सैनिक शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होगा जिन्हें समय-समय पर संशोधित भूतपूर्व सैनिक (सिविल सेवाओं और पदों पर पुनर्नियोजन) नियम, 1979 में भूतपूर्व सैनिक के रूप में परिभाषित किया गया है। आयु में छूट भूतपूर्व सैनिकों को देय होगी, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसने भारतीय संघ की नियमित सेना, नौसेना और वायु सेना में लड़ाकू या गैर-लड़ाकू के रूप में किसी भी पद पर सेवा की हो और जो या तो स्वयं के अनुरोध पर या पेंशन प्राप्त करने के बाद नियोक्ता द्वारा सेवामुक्त किए जाने पर ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त या कार्यमुक्त या सेवामुक्त हुआ हो।

11. चयन प्रक्रिया:

- (1) सहायक महाप्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी):

चयन 100 अंकों के एक प्रश्नपत्र वाली लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा, जिसके बाद चयनित उम्मीदवारों का साक्षात्कार (40 अंक) होगा।

(ए) लिखित परीक्षा: लिखित परीक्षा के लिए प्रश्न योजना निम्नानुसार होगी:

क्र.सं.	खंड	प्रश्नों की सं.	अंक
	वस्तुनिष्ठ प्रकार		
1	सामान्य प्रबंधन, प्रबंधकीय योग्यता	10	10
2	तार्किक तर्क, समस्या समाधान, विश्लेषणात्मक योग्यता	10	10
3	आईटी संबंधी, बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान	10	10
4	समसामयिक घटनाक्रम	10	10
5	सामान्य अर्थशास्त्र	05	05
6	अंग्रेजी व्याकरण	05	05
	वर्णनात्मक प्रकार: संबंधित विषयों से		
	सूचना प्रौद्योगिकी/कंप्यूटर विज्ञान --- 03 प्रश्न	03	50

- प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के चार उत्तर विकल्प होंगे और एक अंक का होगा।
- वस्तुनिष्ठ प्रश्न के प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 25% नकारात्मक अंकन होगा।
- परीक्षा की अवधि 3 घंटे होगी।
- उत्तरों को ओएमआर उत्तर पत्रक पर कलम से अंकित किया जाएगा। कोई पुस्तक/सामग्री लाने की अनुमति नहीं होगी।
- वर्णनात्मक प्रश्नों के उत्तर वर्णनात्मक उत्तर पुस्तिका पर दिए जाने हैं।

(ख) साक्षात्कार:

साक्षात्कार के लिए व्यापक विषय हैं: क. देश में कृषि क्षेत्र के बारे में सामान्य बुद्धि/सामान्य जागरूकता, जिसमें सरकारी विभागों (केंद्र/राज्य)/उनकी एजेंसियों और अन्य हितधारकों के कामकाज और विभिन्न स्तरों पर घोषित और कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं का ज्ञान शामिल है। ख. कृषि उत्पादन और निर्यात की समझ – देश में समग्र कृषि उत्पादन और राज्य-विशिष्ट जानकारी। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात के संवर्धन और विकास में एपीडा और राज्य नोडल एजेंसियों और अन्य हितधारकों की भूमिका और कार्यप्रणाली। एनपीओपी/एपीडा अधिनियम/ट्रेस नेट्स/आरसीएमसी/सीओई आदि के तहत एनपीओपी/प्रमाणन। ग. प्रबंधकीय क्षमता घ. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निर्यात प्रक्रिया की समझ – विश्व व्यापार संगठन/टैरिफ संरचना और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की कार्यप्रणाली, बाजार की जानकारी, कृषि-व्यवसाय में स्टार्टअप और यूनिर्कोर्न और बाजार पहुँच के बारे में। यह सूचित किया जाता है कि उपरोक्त विषय केवल सांकेतिक हैं और संपूर्ण नहीं हैं। साक्षात्कार बोर्ड को अन्य विषयों पर प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता है जो प्रासंगिक लगते हैं।	40 अंक
--	--------

- साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग के लिए लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों को 60% अर्हक अंक प्राप्त करने होंगे।
- साक्षात्कार में अभ्यर्थियों को 60% अर्हक अंक प्राप्त करने होंगे।
- मेरिट सूची लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी।

(2) सहायक प्रबंधक (कृषि) और सहायक प्रबंधक के पद के लिए:

चयन एक लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा जिसमें 2½ घंटे की अवधि और 100 अंकों का एक प्रश्नपत्र होगा, जो निम्नानुसार होगा:

क्र.सं.	खंड	पैटर्न	प्रश्नों की सं.	अंक
1	सामान्य जागरूकता (करंट अफेयर्स, अंग्रेजी, तर्कशक्ति सहित)	वस्तुनिष्ठ	20	20
2	एपीडा/कृषि निर्यात से संबंधित	वस्तुनिष्ठ	30	30
3	डिग्री स्तर पर संबंधित विषयों से प्रश्न	वस्तुनिष्ठ	30	30
4	निबंध लेखन और सार लेखन	वर्णनात्मक	2	20
	- प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के चार उत्तर विकल्प होंगे और एक अंक का होगा। - प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 25% निगेटिव मार्किंग होगी। - उत्तरों को ओएमआर उत्तर शीट तथा वर्णनात्मक उत्तर पुस्तिका पर पैन से अंकित किया जाएगा। - कोई भी पुस्तक/सामग्री लाने की अनुमति नहीं होगी।			

अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग हेतु लिखित परीक्षा में प्राप्त किए जाने वाले अर्हक अंक 60% होंगे।

12. सभी पदों के लिए लिखित परीक्षा का माध्यम :

प्रश्नपत्र द्विभाषी अर्थात हिंदी और अंग्रेजी में होगा। अभ्यर्थी अपनी इच्छानुसार अंग्रेजी या हिंदी में से किसी एक में प्रश्नपत्र लिख सकते हैं, अर्थात, यदि प्रश्नों के उत्तर हिंदी में देने का विकल्प चुना जाता है, तो उन्हें केवल हिंदी में ही देना होगा। इसी प्रकार, यदि प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी में देने का विकल्प चुना जाता है, तो उन्हें केवल अंग्रेजी में ही देना होगा। एक या एक से अधिक प्रश्न हिंदी में और शेष अंग्रेजी में देने या इसके विपरीत करने पर प्रश्नपत्र का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग हेतु लिखित परीक्षा में प्राप्त किए जाने वाले अर्हक अंक 60% होंगे।

13. लिखित परीक्षा दिल्ली एनसीआर के केंद्रों में आयोजित की जाएगी।

14. चयन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में उम्मीदवारी अनंतिम है। केवल आवेदन जमा करने या पद पर चयन होने से उम्मीदवार/आवेदक को पद पर नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं मिलेगा। पद पर चयन होने पर उम्मीदवार को निर्धारित सभी योग्यताएँ (शैक्षणिक और अनुभव) और ऊपर उल्लिखित अन्य मानदंड पूरे करने होंगे। गलत घोषणा/झूठी जानकारी जमा करने या कानून के विरुद्ध कोई अन्य कार्रवाई करने पर किसी भी स्तर पर उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। उम्मीदवार ध्यान दें कि लिखित परीक्षा में उनका प्रवेश निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने पर पूर्णतः अनंतिम है। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। लिखित परीक्षा के लिए उम्मीदवार को ई-प्रवेश पत्र जारी करने और लिखित परीक्षा में उपस्थित होने मात्र से यह नहीं माना जाएगा कि प्राधिकरण द्वारा उसकी उम्मीदवारी पर अंतिम रूप से विचार कर लिया गया है। ऑनलाइन आवेदन जमा करते समय अपलोड किए गए दस्तावेजों के संदर्भ में पात्रता शर्तों का सत्यापन केवल लिखित परीक्षा के बाद ही किया जाएगा। उक्त विज्ञापन में उल्लिखित पात्रता शर्तों को पूरा न करने की स्थिति में, उनकी उम्मीदवारी पर आगे की चयन प्रक्रिया के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

15. किसी भी अंतरिम पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

16. वे उम्मीदवार जो सरकारी/अर्धसरकारी/स्वायत्त निकायों आदि में कार्यरत हैं, उन्हें ऑनलाइन पोर्टल पर अनापत्ति प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।

17. पद के लिए आवेदक की आयु की गणना आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि के आधार पर की जाएगी। अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग/भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों के लिए आयु में छूट सरकारी नियमों/आदेशों के अनुसार होगी।

18. वे उम्मीदवार जो आयु में छूट और या शुल्क भुगतान से छूट चाहते हैं (शुल्क भुगतान के लिए महिला उम्मीदवारों को छोड़कर) उन्हें निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी से अपेक्षित प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। अन्यथा, आयु में छूट या शुल्क भुगतान से छूट के उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग/ईडब्ल्यूएस/दिव्यांग श्रेणी के लिए आरक्षित पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी से अपेक्षित प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। किसी अन्य प्रारूप में प्रमाण पत्र अस्वीकृत किए जा सकते हैं। अभ्यर्थी यह भी ध्यान रखें कि उपरोक्त के संबंध में, उनकी उम्मीदवारी तब तक अनंतिम रहेगी जब तक कि संबंधित दस्तावेज की सत्यता सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं कर ली जाती।

19. भर्ती की प्रक्रिया और प्रक्रिया कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (भर्ती) विनियम, 2022 के अनुसार शासित होगी।

20. लिखित परीक्षा में सफलता नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं देती है जब तक कि एपीडा में सक्षम प्राधिकारी ऐसी जांच के बाद संतुष्ट न हो जाए जिसे आवश्यक माना जा सकता है कि अभ्यर्थी सेवा / पद पर नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।
21. नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थी भारत में कहीं भी सेवा करने के लिए उत्तरदायी हैं अर्थात ये सभी पद अखिल भारतीय सेवा दायित्व (एआईएसएल) रखते हैं।
22. अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें कि ऑनलाइन आवेदन पोर्टल में दिए गए लिंक के माध्यम से शुल्क का भुगतान करने के बाद, उन्हें आवेदन पोर्टल में प्रमाण / चालान की एक प्रति अपलोड करनी होगी और आगे बढ़ना होगा। ऑनलाइन पोर्टल पर सभी निर्धारित चरणों को पूरा करने और आवेदन संख्या जनरेट करने के बाद ही आवेदन सफलतापूर्वक जमा माना जाएगा। आवेदन संख्या जनरेट करने के बाद ही पूर्ण किए गए आवेदनों पर आगे की प्रक्रिया के लिए विचार किया जाएगा।
23. एपीडा किसी भी समय भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

सावधानी:— किसी भी प्रकार का प्रचार अयोग्यता और उम्मीदवारी रद्द करने का कारण बनेगा।

नोट: अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र में जेपीईजी प्रारूप (20 केबी से 50 केबी) में स्कैन की हुई रंगीन पासपोर्ट आकार की तस्वीर अपलोड करनी होगी। तस्वीर विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से तीन महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। तस्वीर का आकार लगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई) x 4.5 सेमी (ऊँचाई) होना चाहिए। तस्वीर में आवेदक का चेहरा बिना किसी धुंधलेपन के स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए और वह बिना टोपी और चश्मे के होना चाहिए। तस्वीर में पूरा चेहरा, सामने का दृश्य और आँखें खुली होनी चाहिए। सिर फ्रेम के केंद्र में होना चाहिए। चेहरे या पृष्ठभूमि पर कोई विचलित करने वाली छाया नहीं होनी चाहिए। धार्मिक कारणों को छोड़कर सिर ढकने की अनुमति नहीं है, लेकिन ठोड़ी के नीचे से माथे के ऊपर तक और चेहरे के दोनों किनारों के चेहरे के भाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिए। चेहरे के भाव स्वाभाविक दिखने चाहिए।

यदि अभ्यर्थी द्वारा उचित तस्वीर अपलोड नहीं की जाती है, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि और समय 01.12.2025 (23:59 बजे) है।